न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4878/2006/हनुमानगढ़

1— रिचा पुत्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लक्खवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

.....अपीलाण्ट

बनाम

1— श्रवण कुमार
2— शिशुपाल
पिसरान श्री हुकमाराम जाति ओड निवासी लक्खावाली वाड नम्बर 1 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3— तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

.....रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री प्रदीप बिशनोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः—09.10.2023

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2006 जो अपील सं0 29/2006 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी के नाम से चक 15 पी0बी0एन0 के खाता संख्या 94 की प0न0 24/318 के कि0न0 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24 व 25 व प0न0 25/318 के कि0नं0 16 लगायत 25 दोनों पत्थर नम्बर में 4.997 है0 नहरी में खाला रास्ता दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला गया। विवादित आराजी जो कि वादिनी के खातेदारी की भूमि है जिसपर प्रतिवादी क्रम 1 ने आज से लगभग 02 माह पूर्व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा अतिक्रमी

की श्रेणी में आता है जो काबिल बेदखली के है। वादिनी ने प्रतिवादी क्रम 1 को विवादित आराजी से कब्जा हटाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी से कब्जा नहीं हटाया गया इसलिए वादिनी को वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

3— अतः वाद वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण जो कि अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है उन्हें बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी से वादिनी को पचास गुना मालकाना व मालगुजारी का हरजाना दिलाया जावे।

4— प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गए कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने तथा स्व्यं द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया।

5— परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 22—03—2006 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया।

6— परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—03—2006 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—06—2006 के द्वारा स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—03—2006 को निरस्त कर दिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर लिया।

अपील डिक्री/टीए/4878/2006/हनुमानगढ़

7— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—06—2006 से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष यह हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

8— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

9— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि वादिनी/अपीलाण्ट के पिता महेन्द्रसिंह ने दिनांक 08—04—1998 को विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से रेस्पो0 द्वारा कब्जा करने से पैमाईश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी फीस भी जमा करवा दी गई बावजूद उसके तहसीलदार ने विवादित आराजी की पैमाईश नहीं की। जिसपर वादिनी के पिता ने दिनांक 11—12—1998 को श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर जिला कलक्टर महोदय ने नायब तहसीलदार, हल्का गिरदावर, हल्का पटवारी व पटवारी से विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया तथा पत्थर नं0 25/318 की भूमि बताई जिसपर तहसीलदार पीलीबंगा ने दिनांक 05—05—2000 को दोनों पक्षों को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कर दिए। तत्पश्चात दिनांक 19—04—2003 को भू—प्रबंध विभाग बीकानेर द्वारा भी विवादित आराजी की पैमाईश करने के आदेश दिए गए। जिसपर टीम का गठन कर गांव के मौतविरान को साथ लेकर सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें पत्थर नम्बर 25/318 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में 32 फीट भूमि कम पाई गई जिसे पत्थर नं0 26/318 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से पूरा करके निशानदेही करवाई जिसपर अपीलाण्ट के पिता महेन्द्रसिंह ने उसी समय उक्त विवादित भूमि को अपने कब्जे में ले लिया परन्तु इसके दो दिन बाद ही रेस्पो0 ने उक्त विवादित आराजी पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अपने काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि पैमाईश के बाद अपीलाण्ट ने कोई कब्जा नहीं लिया और प्रतिवादी रेस्पो0 का ही विवादित आराजी पर 50 वर्षों से कब्जा काश्त

चला आ रहा है। रेस्पो0 का यह कथन कतई गलत है। इस प्रकार पहले नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा की गई पैमाईश दिनांक 01–05–2000 के अनुसार एवं दोबारा की गई पैमाईश दिनांक 30–03–2003 के आधार पर अपीलाण्ट की भूमि कम पाई गई है और उसका रकबा पत्थर नम्बर 26/318 के कि0नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में अधिक होना पाया गया है जिसे पूरा किए जाने का निवेदन किया और मौके पर निशानदेही दी गई। जिसपर अपीलाण्ट के पिता ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर कब्जा लेने की स्वीकृति दी। परन्तु उक्त रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए रेस्पो0 ने विवादित आराजी पर पुनः कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण ने पत्थर नं0 25/318 एवं 26/318 के बीच धोरीखाला वादिनी अपीलाण्ट के खातेदारी में बताया है परन्तु गवाह डीडब्ल्यू–3 गुरासिंह ने अपने जिरह में कथन किया है कि धोरीखाला श्रवणसिंह के खेत में है इस प्रकार जो पैमाईश की गई है वह सही है और धोरीखाला को बीच में बिना किसी कारण के उठाया गया है। रिपोर्ट के साथ नक्शा व निशानदेही को देखने से स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने जानबूझकर वादिनी/अपीलाण्ट की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसको भू प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश एवं निशानदेही से साबित कर दिया है और मौके पर निशानदेही का मतलब यह होता है कि जिसकी भूमि कम पाई जाती है उसको निशान देकर के कब्जा करवाना है की आप इस निशान तक कब्जा करें यही निशानदेही का मतलब होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भू प्रबंध विभाग के द्वारा की गई पैमाईश एवं मौका रिपोर्ट को गलत मानते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 141 के प्रावधानानुसार जो पैमाईश व निशानदेही दी जाती है वह राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 141 का हवाला दिया है जो कि केवल आबादी भूमि के लिए है। भू प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश की गई है उसे अपील के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है उसको वाद में प्रतिपक्ष अपने साक्ष्य की ढाल नहीं बना सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2006 निरस्त फरमाया जावे तथा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–03–2006 बहाल रखा जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि चक 15 पी0बी0एन के प0नं0 25 / 318 व 26 / 318 के मध्य अर्थात प0नं0 25 / 318 के कि0 नं0 5, 6, 15, 16 व 25 के पूर्वी ओर धोरीखाला अरसा 50 वर्ष से यथावत चल रहा है यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाण्ट व रेस्पो0 की साक्ष्य से स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह कथन की दावा दायरी से दो माह पूर्व विवादित आराजी प0नं0 25 / 318 के कि0नं0 16 व 25 की 4–4 बिस्वा भूमि पर रेस्पो0 द्वारा कब्जा करना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। अपीलाण्ट के पिता श्री महेन्द्रसिंह द्वारा कथित रूप से दिनांक 23–05–2003 को करवाई गई पैमाईश कतई गलत व एकपक्षीय है। अपीलाण्ट की भूमि पत्थर नं0 25 / 318 के पश्चिमी ओर प0नं0 24 / 318 चंद्रसिंह, दर्शनसिंह वगैराह की भूमि है। प0नं0 24 / 318 की पूर्वी सींव खत्म होने के पश्चात् अपीलाण्ट ने अपनी भूमि प0नं0 25 / 318 के कि0नं0 20 व 21 की करीब 30–32 फीट भूमि खाली छोड रखी है। अपीलाण्ट ने उक्त खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित आराजी का दिनांक 16–05–2003 के द्वारा सीमाज्ञान कार्य हेतु नियोजित करने पर दिनांक 17–05–2003 को तहसीलदार पीलीबंगा सहित विवादित रकबे का सीमाज्ञान हेतु सेटलमेण्ट व राजस्व विभाग की गठित टीम में सीमाज्ञान करवाया है तथा रिपोर्ट जो पत्रावली पर प्रदर्श–पी 1 संलग्न है, दी है। उक्त रिपोर्ट को धारा 141 भू राजस्व अधिनियम के तहत बताया है एवं उसकी अपील जिला कलक्टर के समक्ष किए जाने का प्रावधान होना बताते हुए उसे अंतिम आदेश माना है, जबकि वह किसी अधिकारी का आदेश न होकर मात्र रिपोर्ट है। धारा 141 एलआर एक्ट सर्वेक्षण का आदेश देने की स्थिति में यह प्रावधान है कि जब भी उचित समझे राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश दे सकेगी कि राज्य के भीतर किसी आबादी क्षेत्र का या ऐसे आबादी क्षेत्र के किसी भाग का सर्वेक्षण किया

जावेगा और तदुपरांत प्रत्येक ऐसा आबादी क्षेत्र या उसका भाग सर्वेक्षण के अधीन समझा जावेगा। धारा 141 में सीमाओं के बारें में विवाद पर सर्वे के अधीन सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण की जाने वाली किसी भूमि का परिसर की सीमाओं के बारे में यदि कोई विवाद पाया जाता है तो ऐसे विवाद का अवधारणा करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा जांच की जावेगी परन्तु धारा 141 के अधीन सर्वेक्षण बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–03–2006 खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2006 बहाल रखा जावे।

11– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ मौका फर्द चक 15 पी0बी0एन0 दिनांक 30–05–2003 प्रदर्श–1 संलग्न है। वादपत्र की प्रति प्रदर्श–पी 2 संलग्न है।

12– प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में APPENDIX XV RULE 68 SANAD प्रदर्श–डी 1 ए संलग्न है। दिनांक 08–05–1963 दरखास्त प्रदर्श–डी 2 ए संलग्न है।

13– वादी ने अपनी ओर से बयान रिचा पीडब्ल्यू–1, महेन्द्रसिंह पीडब्ल्यू–2 कराए है।

14– प्रतिवादी ने अपनी ओर से बयान श्रवणराम डीडब्ल्यू–1, शीशपालसिंह डीडब्ल्यू–2, गुरासिंह डीडब्ल्यू–3, हरिसिंह डीडब्ल्यू–4 कराए है।

15— परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकियात कायम की थी। परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय दोनों ने तनकीवाद निर्णय पारित किया है। उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है।

1—तनकी नंबर 1:— आया वादिनी विवादित भूमि चक 15 पी0बी0एन के प0नं0 24/318 व 25/318 की 4.997 है0 भूमि की खातेदार होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कि0नं0 16 की 4 बिस्वा पूर्वी दिशा व कि0नं0 25 की 4 बिस्वा पूर्वी दिशा पर अतिक्रमी घोषित करवाने की अधिकारीणी है :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण अपीलाण्ट पर था। वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द चक 15 पी0बी0एन0 दिनांक 30—05—2003 प्रदर्श—1 के अनुसार भू प्रबंध अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 663 दिनांक 09—05—2003 व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश क्रमांक 1302 दिनांक 13—05—2003 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ के आदेश क्रमांक 2531 दिनांक 16—05—2003 के द्वारा सीमाज्ञान कार्य हेतु नियोजित करने पर दिनांक 17—05—2003 को सीमाज्ञान कार्य हेतु नियोजित गठित टीम के साथ निरीक्षण भू अभिलेख हल्का पटवारी एवं अन्य पटवारीगण व भू प्रबंध विभाग से नियोजित टीम के सभी संयुक्त रूप से विवादित आराजी चक 15 पी0बी0एन के पं0नं0 24/318, 25/318, 25/319, 25/320, 26/319 एवं 26/320 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचे तथा उक्त विवादित आराजी के सीमावर्ती सभी काश्तकारों को बुलाया गया जिसमें हरीसिंह, जगदीशपाल, जयसिंह हरमेंद्रसिंह, रणजीतसिंह, महेन्द्रसिंह आदि काश्तकार मौके पर आए, मौके पर उपस्थित सीमावर्ती काश्तकारों ने बताया की पत्थर मौके पर है वो सही नहीं है। उपरोक्त काश्तकारों को साथ लेकर मौके का निरीक्षण कर चक 17 पीबीएन के पत्थर नं0 19/322, 20/322 दोनों पत्थरों का मुआयना किया जो मौके पर मौजूद मिले तथा दोनों पत्थरों को आधार मानकर इन्ही पत्थरों की वापसी में पश्चिम से पूर्व की ओर पत्थर नं0 27/322 तक नाप कर देखा गया जो सही नाप पाया गया तथा साथ रहे काश्तकारों ने भी इसे सही माना। इस प्रकार इसी लाइन को मुख्य आधार मानकर पत्थर नम्बर 23/322 से उत्तर की

तरफ प0नं0 23/318 तक लाईन चिन्हित करते हुए प0नं0 24/322 से 24/318 तक मु0लाईन चिन्हित की तथा मौके पर मौजूद पत्थर 24/318 सही पाया गया था। उक्त कार्यवाही दिनांक 22–05–2003 को की गई। दिनांक 23–05–2003 को गठित टीम के सदस्य पुनः मौके पर पहुंचे वहा पर प्रतिवादी क्रम 1 भी मौके पर उपस्थित हुए थे। प्रतिवादी क्रम 1 ने बताया की हमने पूर्व में सीमाज्ञान करवाया था जिसमें आबादी के पास पत्थर नं0 27/316 सही माना गया था जो आज भी मौके पर मौजूद है जिसकी जांच हेतु पत्थर नं0 24/318 जो कि मौके पर मौजूद है से पूर्व की तरफ 27/318 तक नांप कर 27/318 से 27/316 तक उत्तर की तरफ नांप कर देखा गया जो सही पाया गया। इसी पत्थर से पूर्व की तरफ 29/316 तक आबादी भूमि को नांपकर देखा गया जो सही पाई गई। इन्ही पत्थर लाईनों को आधार मानकर दिनांक 27–05–2003 को सीमाज्ञान किया लेकिन समीपवर्ती काश्तकारों व ग्रामवासियों द्वारा विरोध करने पर पुनः दिनांक 30–05–2003 को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पूर्व में निकाली गई मुरब्बे की लाईन के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें मौके पर निकाली गई मुरब्बा लाईनों के आधार पर सीमावर्ती काश्तकारों का रकबा पूरा पाया गया। वादिनी/अपीलाण्ट के पिता महेन्द्रसिंह के मौके पर मुरब्बा लाईन में अंतर आया जिससे अपीलाण्ट का कब्जा मौके पर बताते हुए कम रकबे की पूर्ती मौके पर की गई परन्तु उपस्थित व्यक्तियों के साथ उनकी निशानदेही पर उनके हस्ताक्षर/अंगूठे करने से इंकार करने पर गठित टीम के सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। मौके पर 32 फीट भूमि कम थी जिसकी पूर्ती कर प0नं0 26/318 के कि0नं0 1, 10, 11, 20, 21 से पूरी करके दी गई तथा कब्जा भी दिया गया किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की भूमि पर अभी कब्जा कर रखा है तथा छोडने को तैयार नहीं है। वकील प्रतिवादीगण 1 व 2 ने निवेदन किया कि मौके पर प्रतिवादीगण की भूमि पहले से कम है। इस भूमि की पहले सन् 1963 में सेटलमेण्ट विभाग द्वारा नपती की गई थी तथा आज तक यथास्थिति है। प्रतिवादीगण की भूमि के बीच एक धोरीखाला पिछले पचास वर्षों से चला आ रहा है जिसके एक तरफ वादिनी तथा दूसरी तरफ प्रतिवादीगण की भूमि है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी

की भूमि पं0नं0 25/318 के कि0नं0 16 रकबा 0.04 बिस्वा पूर्वी साइड पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा तथा कि0नं0 25 रकबा 0.4 बिस्वा पूर्वी साईड पर प्रतिवादी क्रम 2 ने अतिक्रमण किया हुआ है। सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट में भी भूमि कम होना बताया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तनकी को वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया है जो त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर यह तनकी वादिनी/अपीलाण्ट के पक्ष में तय की जाती है।

2—तनकी नंबर 2:— आया वादिनी उक्त विवादित भूमि के कि0नं0 16/0.4 व 25/0.04 बिस्वा पूर्वी साईड से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बेदखल कर चिर स्थाई निषेधाज्ञा की अधिकारीणी है :— इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी/अपीलाण्ट पर है। वादिनी/अपीलाण्ट ने तनकी नं0 1 को परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट प्रदर्श—1 के आधार पर साबित किया है। तनकी नं0 2 भी तनकी नं0 1 से संबंधित है। ऐसी स्थिति में तनकी नं0 2 को वादिनी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3—तनकी नंबर 3:— आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी खातेदारी भूमि पर 50 वर्षों से काबिज है। विवादित भूमि के बीच में 50 वर्षों से धोरीखाला यथा स्थिति में चालू है :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण रेस्पो0 पर है। प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने अपने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया था। रेस्पोडेण्टगण ने काउन्टर क्लेम में विवादित आराजी पर अपना पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होना बताया है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में परीक्षण न्यायालय में प्रदर्श—डी 1ए एवं प्रदर्श—डी 2ए पेश किए थे। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह साबित नहीं है कि दिनांक 30—05—2003 को विवादित आराजी की जो पैमाईश की गई थी उसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति की गई हो। दिनांक 30—05—2003 को गठित टीम द्वारा पूर्ण रूप से पत्थर लाईनों की पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजी जो वादिनी/अपीलाण्ट की है

पर प्रतिवादीगण ने कब्जा किया हुआ है जो अतिक्रमी की हैसियत से है जिसे बेदखल कर वादिनी/अपीलाण्ट कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

16— उपर्युक्त तनकीयों का विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी जो वादिनी/अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि है जिसपर प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा किया हुआ है जो मौका रिपोर्ट प्रदर्श—1 से पूर्णतया साबित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—03—2006 को निरस्त करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। उपर किए गए विवेचन एवं विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए हम वादिनी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझतें हैं।

17— परिणामतः वादिनी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—06—2006 निरस्त किया जाता है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—03—2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(आर0 डी0 मीणा)
सदस्य